(525)

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ।

दिनांक 28 नवम्बर, 1990 को दोपहर 12.00 बजे कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा-जयपुर में आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक का कार्यवृत :-

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :-

1. डा. एस. एन. सक्सेना (अध्यक्ष)
2. श्री एम. एल. मेहता
3. श्री सुधीर वर्मा
4. श्री सी. एस. राजन
5. डा. जी. एस. शेखावत
6. डा. आचार्यहरेश सी. सांवरिया
7. डा. बी. एल. बसेर
8. श्री रघुवीर सिंह कौशल
9. डा. पी. आर. जटकर
10. डा. के. वी. शर्मा
11. डा. वी. बी. सिंह
12. श्री टी. पंत
13. डा. के. के. जैन
14. श्री सुनील धारीवाल (सदस्य सचिव)

डा. पाण्डे बी. बी. लाल, श्री राम गोपाल चौधरी, डा. टी. पी. ओझा, शिक्षा सचिव, बैठक में सम्मिलित नहीं हो सके ।

बैठक की कार्य सूचि पर विचार प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति महोदय ने सदस्यों को विश्वविद्यालय के कार्यक्रम एवं संबंधित गतिविधियों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया ।

राकृवि/प्रबो-18/90-4/249 प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 5.8.90 के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि कार्यवृत की पुष्टि निम्न टिप्पणी के साथ की जाय :

अ) मद संख्या राकृवि/प्रबो-17/90-3/246 जिसमें वर्णित है कि मद संख्या 239 में निर्णित हो चुका है को पुनः स्पष्ट उल्लेखित करे कि निर्णय केवल स्टेट्यूट 12 चयन समितियों एवं प्रक्रिया के लिए ही किया गया था अन्य स्टेट्यूट हेतु निर्णित नहीं था ।

राकृवि/प्रबो-18/ 90-4/250 दिनांक 8.8.90 की बैठक के कार्यवृत की क्रियान्विति पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया क्रियान्विति को निम्न टिप्पणी के साथ आलोकित किया जाय ।

अ) कार्यालय आदेश क्रमांक एफ/राजाउ/कुला/90/723-88 दिनांक 17.11.90 की भाषा में औन और आफ्टर शब्द भ्रान्तिपूर्ण प्रतीत होता है अत: उक्त शब्द को विलोपित कर संशोधित आदेश प्रसारित किये जाये ।

राकृवि/प्रबो-18/ 90-4/251 कुलपति महोदय द्वारा प्रसारित विभिन्न आदेशों को प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

निर्णय लिया गया कि आदेशों को निम्न संस्तुति के साथ आलोकित किया जाय ।

आदेश क्रमांक एफ 62/सीडीएस../राजाउ/आर/बी/स्थापना/ ग्रुप-I/90/3386-405 दिनांक 6.11.90 अधिष्ठाता छात्र कल्याण की नियुक्ति के संबंध में है कुछ माननीय सदस्यों की संस्तुति थी कि अधिष्ठाता छात्र कल्याण का मुख्यालय उदयपुर में होता तो अधिक उचित रहता । कुलपति महोदय ने बताया कि छात्र अधिष्ठाता का पद विश्वविद्यालय स्तर पर स्थानीय सहायक अधिष्ठाता से अस्थाई तौर पर बिना वित्तिय भार के भरा गया हैं ।

राकृवि/प्रबो-18/ 90-4/252 दिनांक 27.11.90 को आयोजित स्थापना समिति की बैठक के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार किया गया ।

मद वार विस्तृत विचार के बाद निर्णय लिया गया कि बैठक के कार्यवृत को अनुमोदित किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-18/ 90-4/253 चिकित्सा पुनर्भरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों के आवेदन पर विचार किया गया ।

अ) श्री एच.सी.के. माथुर

ब) डा. जी.डी. शर्मा

स) श्री तारा चन्द

.....3.

विस्तृत विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि :

अ) डा. एच. सी. के. माथुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया जाय । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि श्री माथुर से बकाया राशि मय 12 प्रतिशत ब्याज के वसूल करने की कार्यवाही की जावे । तथा महालेखाकार दल द्वारा पेरा 37 द्वारा बताई गई अधिक भुगतान राशि रू. 10,060/- की वसूली की जाय । श्री माथुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जावे ।

ब) डा. जी. डी. शर्मा व (स) तारा चन्द के आवेदन को निरस्त किया जाय ।

यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यालय में लम्बित सभी आवेदनों का परीक्षण कर, केवल उन आवेदनों को जिनमें नियमों की क्रियान्विती करने के कारण किसी व्यक्ति को विषम परिस्थितियों का शिकार होना पड़ गया हो, सम्पूर्ण तथ्यों सहित स्थापना समिति के माध्यम से प्रस्तुत किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-18/ 90-4/254

अधिष्ठाता परिषद् की बैठकें दिनांक 2.2.90, 21-22 मार्च, 90 व 14 जून, 90 के कार्यवृत को मण्डल की पूर्व बैठक की मद संख्या 227 व 247 के संदर्भ में पुनः रखे जाने पर विचार किया गया ।

विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि :

अ) दिनांक 2.2.90 की बैठक की मद संख्या 5(3) के संदर्भ में निर्णय लिया गया कि संचार मुद्रणालय से अनापत्ति प्राप्त कर ही अन्य मुद्रणालय से मुद्रण कार्य करवाया जाये । साथ ही यह भी संस्तुति की गई कि अत्यावश्यक कार्य, परिस्थितियों तथा वित्तिय भार को देखते हुए एक निश्चित सीमा तक कार्य बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के भी अन्य मुद्रणालय से करवाया जा सकता है । सीमा का निर्धारण निदेशक विस्तार जो कि संचार मुद्रणालय का कार्यदेख रहे हैं के साथ विचार विमर्श कर किया जावे ।

.....4

ब§ मद संख्या 8 कर्मचारियों को अनाज खरीदने हेतु अग्रिम ऋण प्रदान करने हेतु विचार किया गया । निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष मई माह में अनाज खरीदने हेतु अग्रिम राशि के भुगतान के स्थाई आदेश जारी कर दिये जाय । भविष्य में यदि राज्य सरकार द्वारा इन आदेशों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तित आदेश जारी कर दिये जाये । किसी वर्ष यदि राज्य सरकार द्वारा यह अग्रिम भुगतान न करने का निर्णय लिया जाता है तब इन स्थायी आदेश की जगह भुगतान न करने का आदेश समय पर जारी किया जाय ।

दिनांक 21-22 मार्च, 90 की अधिष्ठाता परिषद् की बैठक के कार्यवृत पर कोई निर्णय नहीं लिया गया केवल मण्डल की सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया ।

दिनांक 14.6.90 की अधिष्ठाता परिषद् की बैठक में प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक मेन्यूअल के निर्माण हेतु क्रमशः 200/-रू. व 100/-रू. शिक्षक को भुगतान करने के कुलपति महोदय के निर्णय की पुष्टि की गई ।

अ§ मद संख्या 4 साधारण बैठकों में दोपहर के भोजन हेतु 20/-रू. प्रति व्यक्ति खर्च करने पर व महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा भाग ली जाने वाली बैठक में 35/-रू. प्रति व्यक्ति की दर से खर्च करने की अनुमति प्रदान की गई । जलपान आदि पर दोनों ही तरह की बैठकों में 4/-रू. प्रति व्यक्ति की दर से खर्च किये जाने की अनुमति प्रदान की गई । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि कुल खर्च का 20 प्रतिशत सहयोगी कर्मचारियों के लिए खर्च किया जा सकेगा । अधिष्ठाता/निदेशक को यह खर्च करने के लिए अधिकृत किया गया ।

ब§ मद संख्या 5-I दूरभाष के व्यय में मितव्ययता का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

दूरभाष पर होने वाले व्यय को कम करने पर विचार करते समय यह निर्णय लिया गया कि जिन अधिकारियों के पास

.....5

एस. टी. डी. सुविधा के उनके गत 3 तिमाही बिलो को प्राप्त कर स्थापना समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय ।

स) मद संख्या 5-2 निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा करवाने पर चिकित्सा पुनर्भरण बंद करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ ।
निर्णय लिया गया कि वित्त नियंत्रक अधिकृत निजी चिकित्सा केन्द्रों की सूचि पर पुनर्विचार करें तथा केवल उन स्थानों पर जिनके आस पास राजकीय चिकित्सालय अथवा चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं है उन स्थानों पर निजी चिकित्सकों को अधिकृत किया जाय अन्य स्थानों पर यह सुविधा समाप्त की जाय । इस संबंध में सूचना जारी कर सभी कर्मचारियों को अवगत करवाये जाने का प्रबन्ध किया जाय ।

द) मद संख्या - 5)7) वर्दियों के खरीद एवं वितरण संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ ।
निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों में वितरित की जाने वाली वर्दियों के संबंध में खरीद व उनके वितरण आगामी वर्ष 1991-92 विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित रंग के अनुरूप आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने स्तर पर निर्धारित बजट सीमा में खरीद कर अपने अधिनस्थ कर्मचारियों को जो वर्दी प्राप्त करने के लिए अधिकृत है वितरित करें ।

क) मद संख्या 10)1) किसी भी पद के विरूद्ध कोई केज्यूअल/तदर्थ व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाय । किसी भी केडर के पद को किसी अन्य केडर के व्यक्ति से नहीं भरा जाय । आवश्यकता होने पर पंजीकृत ठेकेदारोंसे निश्चित अवधि हेतु संविदा पर श्रमिकों को प्राप्त किया जा सकेगा । इस मद पर विचार करते समय मण्डल ने यह भी जानकारी चाही कि अध्यापकों के कितने पद एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किये हुए है इसकी सूचना मण्डल को उपलब्ध करायी जाय ।

.....6

ख) मद संख्या 10(3) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत करने के 10 प्रतिशत कोटे को वापिस किये जाने के निर्णय को प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदित नहीं किया और यह निश्चित किया गया कि सेवा नियमों पर विचार करते समय इस प्रकरण पर विस्तृत निर्णय किया जायेगा ।

प्रबन्ध मण्डल का इकाईवार केज्यूअल श्रमिकों की वरीयता निर्धारित करने के प्रस्ताव को भी अस्वीकृत कर दिया । इस तरह से श्रमिकों की वरीयता निर्धारण व परिलाभ के संबंध में बनाई गई योजना को भी अलग से अनुमोदित किया गया ।

ग) विश्वविद्यालय मुद्रणालय में काम करने वाले श्रमिकों को अपने वर्तमान दर से एक रूपया अधिक प्रति घंटा भुगतान करने के निर्णय मद संख्या 11(अ-1) व (ब) को भी अनुमोदित किया गया ।

घ) मद संख्या 13(5) आवास गृह के आवंटन के संबंध में निर्णय लिया गया कि उदयपुर में भू-सम्पति अधिकारी तथा बीकानेर में कुलपति महोदय व अन्य स्थानों पर जहां पर की एक ही मुख्य अधिकारी है वहां वह अधिकारी आवंटन करेगा ।

राकृवि/प्रबो-18/ 90-4/255 दिनांक 24.3.90 व 28.3.90 को हुई वित्त समिति की बैठकों के कार्यवृत पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि :

अ) दिनांक 24.3.90 की बैठक के कार्यवृत पर कोई निर्णय नहीं लिया गया क्योंकि वह कार्यवृत केवल मण्डल की सूचनार्थ ही प्रेषित किया गया ।

ब) दिनांक 28.3.90 की बैठक के कार्यवृत पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि :

.......7.

मद संख्या 2 जोकि प्रशिक्षकों के पद को सहायक आचार्य (विस्तार शिक्षा) में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।

श्री गणपत सिंह, प्रयोगशाला सहायक को पशुओं के प्रयोगशाला में कार्यालय समय के पश्चात अथवा अन्य परिस्थितियों में अधिक कार्य करने हेतु 25/-रु. प्रति माह भत्ता दिये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या 4 अधिष्ठाता परिषद् द्वारा मद संख्या 3। के अंतर्गत गठित उप समिति जिसमें हवाई अड्डे/रेल्वे स्टेशन/बस स्टेन्ड आदि तक पहुंचने व कार्य स्थल पर पहुंचने तथा कार्य स्थल से बाहर जाने पर देय भत्ते एवं सुविधायें (परिशिष्ठ एक) के समान दिये जाने के अनुमोदन पर विचार किया गया । (परिशिष्ट संलग्न)

निर्णय लिया गया कि उप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन परिशिष्ट (।) को अनुमोदित किया जाय । साथ ही अन्य यात्रा भत्ते नियम राज्य सरकार के यात्रा भत्ते नियमों के अनुसार देय होंगे ।

मद संख्या 5 सहायक निदेशक विस्तार शिक्षा के पद का सृजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा राज्य सरकार द्वारा कार्य के अधिक भार को देखते हुए किये जाने की अनुमति पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाय ।

मद संख्या 6 जो कि परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों को पारीश्रमिक प्रदान करने की दरों को पुनरीक्षित करने पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाय ।

.....8.

राकृवि/प्रबो-18/ 90-4/264 अधिष्ठाता, राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर के पत्र दिनांक 12 नवम्बर, 1990 जिसमें उन्होंने एन.बी.एस.एस व एल.यू.पी योजना को जो कि बड़ोदा से उदयपुर स्थानान्तरित हुई है को कार्यालय हेतु भवन एवं आवास गृह हेतु भूमि विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये जाने हेतु एक नक्शा बना कर भेजा है पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि नक्शे के अनुसार कार्यालय हेतु भवन की भूमि जो वर्तमान में महाविद्यालय सीमा में हैं उपलब्ध करा दी जावे पर आवास गृह के निर्माण हेतु भूमि का आवंटन अभी नहीं किया जावे। साथ ही मण्डल का यह मत रहा कि कार्यालय के लिए दिये जाने वाली भूमिहेतु एक मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टेंडिंग पर अनुबन्ध करा लिया जावे ।

राकृवि/प्रबो-18/ 90-4/265 सेवा निवृत्ति कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों की भाँति ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित दरों से राशि एकत्रित करने पर कुल कितनी राशि प्राप्त होगी तथा आगामी 5 वर्षों में कितने कर्मचारी सेवानिवृत्ति होंगे इसका आकलन कर विस्तृत विवरण स्थापना समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-18/ 90-4/268 स्टेट्यूट 54(5) व 54(6) जिसमें भविष्य निधि के अंशदान के प्रतिशत को (जो कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाना है) को वर्तमान में 1000 रू. तक प्रदान किये गये अंशदान को 2650/-रू. तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों से सूचना एकत्रित कर ली जाय तथा पुनः मण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय ।

.......9

राकृवि/प्रबो-18/ राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के स्टेट्यूट्स/अधिनियम नियम/
90-4/271 परिनियमों हेतु पूर्व मद संख्या 260 एवं 262 को सम्मिलित करते हुए प्रस्तावित प्रतिवेदन पर विचार किया गया ।

मण्डल का यह मत रहा कि नियमों/उपनियमों स्टेट्यूट्स का विस्तृत परीक्षण आवश्यक है अत: निर्णय लिया गया कि इन सबका परीक्षण करने हेतु एक पांच सदस्यीय उप समिति का गठन किया जाय जो एक माह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे तथा उस प्रतिवेदन के आधार पर मण्डल के समक्ष अनुमोदन/संस्तुति हेतु प्रस्तुत किया जाय ।

इस हेतु निम्न सदस्यों की एक उप समिति का गठन किया गया :

अ) डा. एस. एन. सक्सेना कुलपति (अध्यक्ष)
ब) डा. जी. एस. शेखावत
स) डा. बी. एल. बसेर
द) डा. एम. एम. सिंघलोट
क) श्री सुनील धारीवाल सचिव

समयाभाव के कारण मद संख्या 256, 257, 258, 259, 261, 263, 266, 267, 269, व 270 पर विचार नहीं किया जा सका ।

विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक कुलपति चयन समिति हेतु मनोनयन के संबंध में विचार किया गया । कुछ सदस्यों का मत था कि इस मद पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है अत: इस हेतु मण्डल की पुन: बैठक बुलाई जाय । इस पर निर्णय लिया गया कि कार्यसूचि के अनिर्णित मदों पर विचार करने तथा मण्डल के प्रतिनिधि का कुलपति चयन समिति हेतु मनोनयन पर विचार करने के लिए दिनांक 15.12.90 को प्रबन्ध मण्डल की पुन: बैठक आमंत्रित की जाय ।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त घोषित की गई ।

(एस. एन. सक्सेना)
अध्यक्ष

(सुनील धारीवाल)
सदस्य सचिव

सूरज/-